GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO 2183

TO BE ANSWERED ON 05.01.2018

Unified Administrative Framework for Tribunals

2183. SHRI PARIMALNATHWANI:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether there are any proposal for reform of tribunals;
(b) if so, the details thereof and the time-frame for the same;
(c) whether there is any proposal to provide a unified administrative framework for all tribunals, thus removing problems of different procedures being followed by different tribunals; and
(d) whether there is a time-frame within which the Government envisages to usher reforms in tribunal of the country?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LAW AND JUSTICE AND CORPORATE AFFAIRS

(SH. P.P.Chaudhary)

(a)to (c) For rationalization of the functioning of Tribunals and Uniform terms and conditions including salaries and allowances, provisions have been made in the Finance Act, 2017. Provisions of Part XIV of Chapter VI of the Finance Act, 2017, which provide for Merger of Tribunals and other Authorities and conditions

of service of Chairperson, Members, etc. were brought into force vide Notification SO 1696(E) dated 26.05.2017. Fifteen Tribunals, Appellate Tribunals and other Authorities have been merged to reduce them to 7 by amending the respective laws. Provisions have also been made in the Finance Act, 2017 to provide Uniform Service Conditions for Chairperson, Members etc. of 19 Tribunals and Appellate Tribunals and other Authorities including 7 merged Tribunals/Appellate Tribunals. To provide Uniform Service Conditions under Section 184 of the Finance Act, 2017 the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2017 have been notified vide Notification GSR 514 (E) dated 01.06.2017.

(d) Bringing reforms in the working of Tribunals is a continuous process. Therefore the question of fixing a time frame does not arise.

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2183

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 जनवरी, 2018 को दिया जाना है

न्यायाधिकरणों का एकीकृत प्रशासनिक ढांचा

2183. श्री परिमल नथवानी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधिकरणों में सुधार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय सीमा है;

(ग) क्या सभी न्यायाधिकरणों के लिए एक एकीकृत प्रशासनिक ढांचा प्रदान करने और इस प्रकार विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न प्रक्रियाओं की समस्याओं को दूर करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या ऐसी कोई समय सीमा है जिसके अंदर सरकार की देश में न्यायाधिकरण के संबंध में सुधार लाने की परिकल्पना है ?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) से (ग) : अधिकरणों के कार्यान्वयन के सुव्यवस्थीकरण और एकीकृत निबंधन और शर्तों, जिसके अन्तर्गत वेतन और भत्ते भी हैं, से सम्बन्धित उपबंध वित्त अधिनियम, 2017 में किए गए हैं । वित्त अधिनियम, 2017 के भाग 14 के अध्याय 6, जो अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों का विलय और अध्यक्ष, सदस्यों आदि की सेवा-शर्तों का उपबंध करता है, अधिसूचना संख्या का.आ. 1696(अ) तारीख 26.05.2017 को प्रवृत्त हुए थे, पंद्रह अधिकरणों, अपीलीय अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों को विलय करके सम्बन्धित विधियों का संशोधन करके 7 किया गया है । वित्त अधिनियम, 2017 में 19 अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों तथा अन्य प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत 7 विलयित अधिकरण/अपीलीय अधिकरण भी हैं, के अध्यक्ष, सदस्यों आदि के लिए एकीकृत सेवा-शर्तों के उपबंध किए गए हैं । वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के अधीन अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं,

अनुभव और अन्य सेवा-शर्त) नियम, 2017 एकीकृत सेवा-शर्तें उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना सा.का.नि. 514(अ), तारीख 01.06.2017 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं ।

(घ) : अधिकरणों के कार्यचालन में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है । अतः, कोई समय-सीमा नियत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

****